

मांग संख्या 24
मुख्य शीर्ष 3054

मद क्रमांक 1

राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12-ए के कि.मी. 224 से 231 तक (बोड़ला से पोडी मार्ग) सुदृढीकरण कार्य कराने का निर्णय लिया गया है, जिसकी अनुमानित लागत रूपये 530.66 लाख है। इस कार्य पर इस वर्ष रूपये 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

राज्य शासन द्वारा पंडरिया-बजाग मार्ग के कि.मी. 13 से 37 तक सुदृढीकरण कार्य कराने का निर्णय लिया गया है, जिसकी अनुमानित लागत रूपये 921.00 लाख है। यह राशि भारत सरकार से प्राप्त होगी।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 9,21,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 3

राज्य शासन द्वारा अपरीक्षित नवीन मद के रूप में निम्नलिखित पुलों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है :-

1. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 200 के कि.मी.196/6 पर चांपा रेल्वे स्टेशन के पास (मुंबई-हावड़ा रेलमार्ग पर) रेल्वे ओव्हर ब्रिज। अनुमानित लागत रूपये 3000.00 लाख, अनुपूरक बजट प्रावधान रूपये 100.00 लाख।

2. तिल्दा-सिमगा राज्य मार्ग क्रमांक 37 पर तिल्दा नगर रेल्वे क्रासिंग पर फ्लाई ओव्हर ब्रिज। अनुमानित लागत रूपये 2300.00 लाख, अनुपूरक बजट प्रावधान रूपये 100.00 लाख।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़कों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्य हेतु राशि भारत शासन से प्राप्त होगी।

1. सरोना बिरगुड़ी राजमार्ग क्र. 6-ए सरोना से साल्हेटोला मार्ग कि.मी. 18 से 26/8-बी एवं साल्हेटोला से बिरगुड़ी मार्ग लंबाई 1 से 12/2 तक चौड़ीकरण। अनुमानित लागत रूपये 496.62 लाख।

2. कोण्डागांव अमरावती एरला मार्ग कि.मी. 30 से 44/6 का चौड़ीकरण। अनुमानित लागत रूपये 506.14 लाख।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।